1

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वलियर

समक्ष : एम. के. सिंह

सदस्य

.....

प्रकरण कमांक निगरानी 2378–तीन/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 20.12.13 पारित द्वारा अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर प्रकरण कमांक 242/अ–6–अ/ 12–13.

1– हीरालाल पुत्र सुनुवा कुर्मी
2– हरीराम पुत्र सुनुवा कुर्मी
दोनों निवासी ग्राम गुड़पारा तहसील राजनगर
जिला छतरपुर (म.प्र.) —— आवेदक

विरूद्ध

म.प्र. शासन —— अनावेदक

.....

श्री मुकेश भार्गव, अधिवक्ता, आवेदक।
श्री बी.एन. त्यागी, अधिवक्ता, अनावेदक।

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6–06–2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण कमांक 242/अ–6–अ/12–13 अपील में पारित आदेश दिनांक 20.12.13 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा – 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2– आवेदक/अनावेदक अभिभाषक के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

3– प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदकगण ने नायब तहसीलदार मण्डल बसारी तहसील राजनगर क समक्ष संहिता की धारा 115/116 सहपठित धारा–32 के अंतर्गत आवेदन दिया कि ग्राम कटारा में स्थित भूमि सर्वे कमांक 191/2 रकवा 15.21 एकड़ व 192/1 रकवा 5.50 एकड़ भूमि आवेदकगण के पिता सुनुवा पिता फदना कुर्मी के नाम भूमि स्वामी स्वत्व पर दर्ज रही है जिस पर निरंतर पिता काबिज होकर कृषि कार्य करते रहे। पिता की मृत्यु के बाद आवेदकगण काबिज होकर कृषि कर रहे हैं जब ऋण लेने हेतु कम्प्यूटर से नकल निकलवाई तब पता चला कि उक्त सर्वे नं. की भूमि म.प्र. शासन के नाम दर्ज है इसलिये राजस्व रिकार्ड में सुधार कर भूमि आवेदकगण के नाम दर्ज की जाये। नायब तहसीलदार बसारी तहसील राजनगर ने प्रकरण कमांक 39/अ–6–अ/09–10 पंजीबद्ध किया एवं आवेदकगण का आवेदन संहिता की धारा 115/116 के अंतर्गत न पाये जाने से आदेश दिनांक 07.01.2012 से निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी राजनगर के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 63/अपील/11–12 में पारित आदेश दिनांक 31.7.12 से अपील निरस्त की गई। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 242/अ–6–अ/12–13 अपील में पारित आदेश दिनांक 20.12.13 से अपील अवधि बाह्य मानकर निरस्त कर दी गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

4– निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

5– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि प्रश्नाधीन भूमि ख.नं. 191/2 रकवा 15.21 एकड व ख.नं. 192/1 रकवा 5.50 एकड़ भूमि आवेदकगण के पिता सुनुवा पुत्र फदना कुर्मी के भूमि स्वामी स्वत्व, आधिपत्य की भूमि है जो राजस्व अभिलेख में अंकित थी। उक्त भूमि पर आवेदकगण के पिता सुनुवा अपने जीवन काल में काबिज होकर कृषि करते रहे तथा उनकी मृत्यु के बाद आवेदकगण काबिज होकर कास्त करते चले आ रहे हैं तथा वर्तमान समय में काबिज होकर कृषि कर रहे हैं संवत 2024 तक आवेदकगण के पिता सुनुवा पुत्र फदना कुर्मी के नाम राजस्व अभिलेख मे

अंकितहै उसके पश्चात बिना किसी सक्षम अधिकारी के म.प्र. शासन द्वारा दर्ज कर दिया गया जो राजस्व कर्मचारियों की लिपिकीय भूल है जिसे सुधार करने का अधिकार तहसील न्यायालय को था परन्तु तहसील न्यायालय ने अभिलेख सुधार न कर आवेदन निरस्त करने में भूल की है।

यह तर्क भी दिया गया आवेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 115/116 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र जानकारी दिनांक से एक वर्ष की अवधि के अंदर था एवं उनके समक्ष आवेदकगण ने स्वयं के कथन अन्य साक्षियों के कथन व राजस्व अभिलेख प्रस्तुत किया था लेकिन तहसील न्यायालय ने उक्त कथन व दस्तावेजों पर ध्यान न देकर आवेदन निरस्त करने में भूल की है।

यह तर्क दिया गया कि किसी सक्षम अधिकारी के बिना अदोश के पटवारी द्वारा कोई लेख खसरा में लिखने से छोड़ दिया गया हो तब यह लिपकीय त्रुटि है जिसे सुधार करने का अधिकारी तहसील न्यायालय को था जिसे न कर उनके द्वारा कानूनी भूल की है। तहसील आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी राजनगर के समक्ष अपील की थी जिसमें अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदकगण की सभी बातों का आदेश में उल्लेख तो किया है लेकिन आवेदकगण की अपील अस्वीकार कर तहसील आदेश स्थिर रखा है। इसी प्रकार अपर आयुक्त सागर ने अपील की सुनवाई गुणदोषों पर न कर म्याद के प्रश्न पर ही निरस्त करने में भूल की है। इस प्रकार उक्त सभी अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर राजस्व अभिलेख में आवेदकगण का नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जावे।

6– अनावेदक म.प्र. शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को उचित बताते हुये निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया।

7– उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख में यह स्पष्ट है कि आवेदकगण के पिता सुनुवा पिता फदना कुर्मी का वादग्रस्त भूमि पर राजस्व अभिलेख में संवत 2024 तक भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज है उसके पश्चात बिना किसी सक्षम अधिकारी के म.प्र. शासन दर्ज कर

दिया गया जो राजस्व कर्मचारियों की लिपकीय भूल है जिसे तहसील न्यायालय को सुधारे जाने का अधिकार है तहसील न्यायालय ने यह मानकर आवेदन निरस्त करने में त्रुटि की कि उक्त आवेदन संहिता की धारा 115/116 की परिधि में नहीं आता। अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त सागर ने भी तहसील आदेश की पुष्टि करने में त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में उक्त सभी आदेश स्थिर नहीं रखे जा सकते।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.12.13 एवं अनुविभागीय अधिकारी राजनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.7.12 एवं नायब तहसीलदार मण्डल बसारी तहसील राजनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.01.12 निरस्त किये जाते हैं एवं यह निगरानी स्वीकार की जाकर आवेदकगण के नाम मौजा कटारा तहसील राजनगर में स्थित प्रश्नाधीन भूमि ख.नं. 191/2 रकवा 15.21 एकड़ व ख.नं. 192/1 रकवा 5.50 एकड़ भूमि पर राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार को निर्देश दिये जाते हैं कि तदनुसार आवेदकगण के नाम राजस्व अभिलेख संशोधित किये जाये।

(एम.के. सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर